

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क. 970/2012

संस्थित दिनांक-29.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर
 अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी, जिला-बालाघाट (म0प्र0)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

नवीन शुक्ला पिता शिव नारायण, उम्र 26 वर्ष, जाति ब्राह्मण,
 निवासी मानेवाड़ा रोड़ जूना ज्ञानेश्वर नागपुर,
 थाना नागपुर, जिला-नागपूर (महाराष्ट्र)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-20/08/2014 को घोषित)

1— आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 के तहत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-16.11.2012 को शाम 4:30 बजे ग्राम बैहर से मुक्की रोड़ थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन इनोवा क्रमांक एम.एच. 31/सी.ए. 3366 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन जायलो एम.पी. 50/टी. 7777 को ठोस मारकर उसके चालक आहत अरविंद को साधारण उपहति कारित की।

2— अभियोजन पक्ष का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-16.11.2012 को शाम 4:30 बजे बैहर से मुक्की रोड़ पर वाहन इनोवा एम.एच. 31/सी.ए.3366 के चालक आरोपी द्वारा तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और वाहन जायलो एम.पी. 50/टी. 7777 को ठोस मार दिया, जिससे उक्त वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चालक फरियादी/आहत अरविंद के बांये हाथ, नाक व पैर के पंजे पर चोट आयी। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में दर्ज करवायी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-171/2012, धारा-279, 337 भा.द.वि. का मामला पंजीबद्ध गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आहत का मुलाहिजा करवाया गया, घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, दुर्घटना कारित वाहन को जप्त किया गया, साक्षियों के

कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान अरविंद ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है, जिस कारण आरोपी के विरुद्ध धारा-337 भा.द.वि. का अपराध शमन किया जा कर शेष अपराध धारा-279 भा.द.वि. हेतु आगे विचारण किया गया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-16.11.2012 को शाम 4:30 बजे ग्राम बैहर से मुक्की रोड थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन इनोवा क्रमांक एम.एच. 31 सी.ए. 3366 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत अरविंद चौधरी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना करीब एक वर्ष पूर्व शाम के लगभग 5-6 बजे मुक्की रोड की है। घटना दिनांक को वह वाहन जायलो से बैहर से बम्हनी जा रहा था तो बैहर से लगभग 5-6 कि.मी. दूर मुक्की मार्ग पर उसके वाहन को चार पहिया वाहन ने कट मार दिया था, जिससे उसकी गाडी गड्ढे में चली गई थी। उक्त दुर्घटना कारित वाहन के क्रमांक की उसे जानकारी नहीं और न ही उसके चालक को वह जानता है। घटना की सूचना उसने थाना बैहर में प्रदर्श पी-1 दर्ज करवायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उक्त दुर्घटना वाहन क्रमांक-एम.एच. 31/सी.ए. 3366 से होने से इंकार किया है था। साक्षी ने दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को आरोपी द्वारा चलाये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा स्वयं आहत एवं सूचनाकर्ता होते हुए भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

6— अनुसंधानकर्ता लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-16.11.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने फरियादी अरविंद की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी नवीन के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 अपराध क्रमांक-171/12, धारा-279, 337 भा.द.वि. लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बैहर भेजा था। उक्त अपराध की डायरी विवेचना हेतु उसे प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान दिनांक-17.11.2012 को प्रार्थी अरविंद की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी अरविंद, साक्षी बिहारीदास, रामस्वरूप के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी नवीन कुमार से साक्षियों के समक्ष वाहन इनोवा क्रं. एम.एच.31/सी.ए.3366 मय दस्तावेज के लायसेंस सहित जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 की कार्यवाही किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। वाहन क्रमांक-एम.पी. 50/टी.7777 को हुई नुकसानी बाबत उसके द्वारा नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया गया था। अनुसंधानकर्ता साक्षी ने अपनी साक्ष्य में समर्थनकारी साक्षी के रूप में अपनी साक्ष्य पेश किया है।

8— मामले में घटना के एकमात्र साक्षी स्वयं आहत अरविंद चौधरी (अ.सा.1) की साक्ष्य से घटना के समय आरोपी द्वारा उक्त दुर्घटना कारित वाहन को चलाये जाने तथा लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता। मामले में अनुसंधानकर्ता की समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार मामले में घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

9— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी कथित घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन इनोवा क्रमांक-एम.एच.31/सी.ए. 3366 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन इनोवा क्रमांक—एम.एच.31/सी.ए. 3366 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार विजय पिता कमल कुमार को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है। उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)